[2022] 7 एस. सी. आर 1156

भारत भूषण गुप्ता

वी.

प्रताप नारायण वर्मा और ए. एन. आर.

(2022 की सिविल अपील संख्या 4577)

16 जून, 2022

[दिनेश माहेश्वरी और विक्रम नाथ, जे. जे.]

न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870: एसएस। 7 (iv) (d), 7 (v)-शुल्क की गणना

कुछ मुकदमों में देय-तथ्यों का मूल्यांकन, अनिवार्य और निषेधात्मक निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा और उपयोग के लिए नुकसान के लिए भी और

प्रत्यर्थी के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा वाद का कब्जा-इस दौरान

विचाराधीनता, एक आवेदन यू/या। 7 आर. 11 प्रत्यर्थी द्वारा इस आधार पर आर्थिक अधिकारिता के अभाव के लिए दायर सी. पी. सी. कि

अदालती फीस की गणना करते समय मुक़दमे की संपत्ति नहीं ली जाती है, हालांकि निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया, उच्च न्यायालय ने उचित अधिकार क्षेत्र की अदालत में इसे दायर करने के लिए शिकायत को वापस कर दिया। अनिवार्य और निषेधात्मक निषेधाज्ञा के लिए वाद का मूल्यांकन संपत्ति के बाजार मूल्य पर किए जाने की आवश्यकता नहीं है-यह वाद में दावा की गई राहत की प्रकृति है जो वाद मूल्यांकन के प्रश्न के लिए निर्णायक है-बाजार मूल्य केवल इसलिए वाद मूल्यांकन का निर्णायक नहीं बन जाता है क्योंकि एक अचल संपत्ति है

मुकदमे का विषय-मुकदमे में शामिल अचल संपत्ति का बाजार मूल्य दावा की गई राहत की प्रकृति के आधार पर प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन अंततः किसी विशेष मुकदमे का मूल्यांकन मुख्य रूप से राहत/राहत के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

दावा किया गया-तथ्यों के आधार पर, अपीलार्थी ने अनिवार्य और निषेधात्मक निषेधाज्ञा की राहत का मूल्य नाममात्र रु। 250 लेकिन एक ही समय में

रु. में। 1 लाख और तदनुसार अदालत की फीस का भुगतान किया था-उच्च न्यायालय रखने के लिए केवल संपत्ति के बाजार मूल्य पर निर्भर था

वर्तमान मुकदमे का मूल्यांकन मनमाना होना चाहिए, जो कानून के अनुरूप नहीं है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अलग रखा जाता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 उच्च द्वारा पारित विवादित आदेश

वादी द्वारा दिए गए बयान के संदर्भ में न्यायालय

मुकदमे की संपत्ति के मूल्य पर प्रतिपरीक्षा, कानून के अनुरूप नहीं है और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 7] [1169-एफ-जी]

रु. 250 निषेधाज्ञा के लिए प्रत्येक राहत के लिए और रु। 1 हर्जाने के लिए एक लाख रुपये; और तदनुसार न्यायालय शुल्क का भुगतान किया है। [पैरा 9] [1170 सी-ई] 1.3 यह सामान्य बात है कि वाद में दावा की गई राहत की प्रकृति ही वाद मूल्यांकन के प्रश्न के लिए निर्णायक है। ए के रूप में

आवश्यक परिणामतः बाजार मूल्य निर्णायक नहीं होता है। मुकदमा मूल्यांकन केवल इसलिए कि अचल संपत्ति मुकदमे का विषय है। अचल का बाजार मूल्य

मुकदमे में शामिल संपत्ति की प्रासंगिकता दावा की गई राहत की प्रकृति के आधार पर हो सकती है, लेकिन अंततः, किसी विशेष मुकदमे का मूल्यांकन मुख्य रूप से दावा की गई राहत/राहत के संदर्भ में किया जाना चाहिए। [पैरा 9.1] [1170-एफ]

1.4 जहाँ तक वर्तमान मुकदमे का संबंध है, वादी ने प्रतिवादियों पर लाइसेंसधारी होने का आरोप लगाया है और मांग की है

अनिवार्य निषेधाज्ञा जो उन्हें खुद को और अपने सामान को हटाने के लिए बाध्य करती है। इस तरह की दलीलों के साथ, अनिवार्य निषेधाज्ञा से राहत का दावा कानूनी प्रक्रिया के लिए अज्ञात नहीं है। [पैरा 9.2] [1170 जी-एच]

1.5 अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे की रखरखाव के संबंध में चर्चा के लिए बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं है

कानून की तय की गई स्थिति और इस प्रासंगिक तथ्य के लिए भी कि विवादित आदेश में भी, उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत कुछ नहीं कहा है, जहां तक अनिवार्य निषेधाज्ञा से राहत की मांग करने वाले मुकदमे की स्थिरता का सवाल है।

न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के अपने व्यापक संदर्भ के बाद यह टिप्पणी करते हुए मामले के इस पहलू को संदेह के दायरे से परे रखा कि वर्तमान मामले के तथ्य और मुल्क राज खुल्लर के मामले के तथ्य परस्पर विरोधी थे। इस हद तक, उच्च न्यायालय का विचार लागू कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप था। हालांकि, अगले कदम पर तुरंत, उच्च न्यायालय ने सम्मान के साथ, मुल्क राज खुल्लर के मामले में एक अंश को अलग-थलग करके संदर्भित करके गंभीर त्रुटि की और

पदार्थ से अलग, जहां न्यायालय ने सनकी मूल्यांकन के बारे में किसी भी तर्क के अभाव का संकेत दिया था। उस अवलोकन में

मुल्क राज खुल्लर के मामले का निर्णय पद्मावती महाजन बनाम के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले में टिप्पणियों के संदर्भ में आया। योगेंद्र महाजन और अन्न। , जिसमें न्यायालय ने कहा था कि निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमे को वादी द्वारा अपने विवेकाधिकार में इस शर्त के अधीन मूल्यांकन किया जा सकता है कि ऐसा विवेकाधिकार सनकी नहीं होना चाहिए। सामान्यीकृत का उपयोग

मुल्क राज खुल्लर में पुनः प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस तरह के मुकदमे का 'संपत्ति के बाजार मूल्य पर मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं थी'। [पैरा 9.5] [1172-डी-एच; 1173-ए] 1.6 उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले की समग्र परिस्थितियों पर भी विचार नहीं किया है जहां वादी ने अनिवार्य और निषेधात्मक निषेधाज्ञा की राहत को नाममात्र रु। 250 लेकिन, साथ ही, हर्जाने के दावे के संदर्भ में मुकदमे का मूल्यांकन भी किया है। 1 लाख और तदनुसार अदालत की फीस का भुगतान किया था। रिकॉर्ड के सामने यह स्पष्ट है कि कानून के निर्विवाद सिद्धांत के बावजूद कि अनिवार्य और निषेधात्मक निषेधाज्ञा के लिए इस तरह के मुकदमे को संपत्ति के बाजार मूल्य पर मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है, उच्च न्यायालय ने वर्तमान मुकदमे के मूल्यांकन को "मनमाना" ठहराने के लिए केवल संपत्ति के बाजार मूल्य पर भरोसा किया। उच्च न्यायालय का ऐसा निष्कर्ष न तो कानून के अनुरूप है और न ही वर्तमान वाद के ढांचे और प्रकृति के अनुरूप है। [पैरा 10] [1173-बी-डी] भारत भूषण गुप्ता बनाम।

प्रताप नारायण वर्मा

& एएनआर।

1.7 वाणिज्यिक विमानन मामले में टिप्पणियां थीं -

वास्तव में, उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय में भी ध्यान में रखा गया है, लेकिन उनका अर्थ यह नहीं पढ़ा जा सकता है कि किसी संपत्ति से संबंधित अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमे में और इस तरह कुछ निश्चित करने की मांग की गई है। प्रतिवादी के कृत्यों/चूक पर अधिदेश, मुकदमे का मूल्य संपत्ति के बाजार मूल्य के अनुसार होना आवश्यक है। दावा की गई राहत की प्रकृति की परवाह किए बिना, शामिल संपत्ति के बाजार मूल्य पर वाद मूल्यांकन के लिए ऐसा प्रस्ताव, यदि स्वीकार किया जाता है, तो राहत की प्रकृति के संदर्भ में वाद मूल्यांकन से संबंधित न्यायालय शुल्क अधिनियम की पूरी योजना अव्यवस्थित हो जाएगी। [पैरा 11.2] [1174-जी-एच; 1175-ए]

1.8 प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किया गया निवेदन

निचली अदालत द्वारा उसकी प्रार्थना के बावजूद आवश्यक मुद्दों को तैयार करने की इच्छा के संबंध में अधिक टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं है। यह सरल कारण है कि तैयार किए गए मुद्दों के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 1 ने मुकदमे को लड़ते समय, आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन के माध्यम से मुकदमे के मूल्यांकन और निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र के बारे में आपत्ति उठाने का विकल्प चुना।

वादी की प्रतिपरीक्षा के दौरान। उस आवेदन को निचली अदालत ने सही ही खारिज कर दिया था। इसके विपरीत उच्च न्यायालय के फैसले को हम मंजूरी नहीं दे रहे हैं।

यह स्थिति होने के कारण, मुद्दों को तैयार करने की इच्छा के बारे में विवाद अब पानी नहीं रखता है। [पैरा 13] [1175-सी-ई]

1.9 उच्च न्यायालय ने इस पर विचार करने में पूरी तरह से चूक की है

कानून का लागू प्रावधान अर्थात न्यायालय शुल्क की धारा 7 (iv) (d)

अधिनियम के रूप में उसी निर्णय में बताए गए कानून के सिद्धांतों को भी संदर्भित किया जा रहा है और विवादित आदेश में ही उन पर भरोसा किया जा रहा है। इस प्रकार, विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और निचली अदालत के आदेश को बहाल कर दिया जाता है। [पारस 14,15] [1175-ई-जी]

मुल्क राज खुल्लर बनाम। अनिल कपूर और अन्य। 2011 (2013) 139 डी. आर. जे. 303 के सी. एस. (ओएस) सं. 1855 में; संत लाल जैन बनाम। अवतार सिंह एयर 1985 एससी 857: [1985] 3 एस. सी. आर. 184; मारिया मार्गारिडा सिक्वेरा फर्नांडीस और अन्य। वी. इरास्मो जैक डी सिक्वेरा (मृत) एल. आर. के माध्यम से। 2012 (5) एस. सी. सी. 370 [2012] 3 एस. सी. आर. 841; मलिक मोहम्मद तनवीर बनाम। उज़्मा मलिक और अन्र। 205 में से सीएम (एम) 663; वाणिज्यिक विमानन [2022] 7 एस. सी. आर.

और ट्रैवल कंपनी और ओआरएस। वी. विमला पन्नालालः 1988

(3) एससीसी 423: [1988] 1 पूरक। एससीआर 431; महांत

पुरुषोत्तम दास और ओआरएस। वी. हर नारायण और अन्न। आकाशवाणी 1978

दिल्ली 114; जोसेफ सेवरेंस और अन्य। वी. बेनी मैथ्यू & ओआरएस। (2005) 7 एससीसी 667: [2005] 3 पूरक। एससीआर 429;

पद्मावती महाजन बनाम। योगेंद्र महाजन और अन्न।

(2008) 152 डीएलटी 363 का उल्लेख किया गया है।

मामला

कानून संदर्भ

[1985] 3 एससीआर 184

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4.1

[2012] 3 एससीआर 841

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5.1

[1988] 1 पूरक। एससीआर 431

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6.2

[2005] 3 पूरक। एससीआर 429

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9.4

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.4577

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 18.03.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 की सिविल विविध मुख्य याचिका जिसमें संख्या सीएम (एम) No.961 है।

अरुण मोहन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रुचिरा गुप्ता, दिव्यम अग्रवाल, अनुराग

शर्मा, राजवंश सिंह, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

गोपाल झा, गौतम सिंह, श्रेयश भारद्वाज, निशांत वर्मा,

अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील अनिवार्य और निषेधात्मक के लिए एक मुकदमे से उत्पन्न होती है

प्रतिवादियों के खिलाफ वादी-अपीलार्थी द्वारा दायर वाद संपत्ति के उपयोग और कब्जे के लिए हर्जाने की वसूली के रूप में भी निषेधाज्ञा

प्रतिवादी 1 जिसमें, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII नियम 11 के तहत प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादी (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा दायर एक आवेदन 2 वादी के साक्ष्य के दौरान, अस्वीकृति के लिए 1 इसके बाद, पक्षकारों को वाद में उनकी स्थिति के अनुसार 'वादी' या 'प्रतिवादी संख्या 1' या 'प्रतिवादी संख्या 2' के रूप में भी संदर्भित किया गया है।

2 ' संक्षेप में सी. पी. सी. '।

भारत भूषण गुप्ता बनाम। प्रताप नारायण वर्मा और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

विचारण न्यायालय की आर्थिक अधिकारिता की कमी के लिए की गई शिकायत पर विचारण न्यायालय द्वारा 11.07.2018 पर विचार किया गया और खारिज कर दिया गया, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने विवादित आदेश में मामले पर एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है।

वाद संपत्ति के मूल्य के संबंध में वादी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में दिए गए बयान के संदर्भ में दिनांक 18.03.2019; और उचित अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में इसे दायर करने के लिए वाद को वापस करने का आदेश दिया है।

2.1 . शुरुआत में यह देखा जा सकता है कि 26.04.2019 पर इस मामले में अपील करने के लिए विशेष अनुमति की मांग करने वाली याचिका की जांच करने के बाद, इस न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए, उच्च न्यायालय के विवादित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी। प्रस्तुतिकरणों के दौरान यह बताया गया है कि इस न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद, विषय वाद की सुनवाई आगे बढ़ी और अंततः, वाद पर 31.08.2021 पर निर्णय दिया गया। और प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादी (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा दायर अपील लंबित है। 3. दी गई परिस्थितियों में, हम मामले के सभी तथ्यात्मक पहलुओं पर विस्तार करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि मामला अपील में लंबित है और सभी प्रासंगिक पहलुओं को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जांच के लिए खुला छोड़ने की आवश्यकता है। अतः, यहाँ चर्चा केवल वाद मूल्यांकन के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता और वैधता तक ही सीमित है, न कि उससे आगे। इस प्रकार, वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक सीमा तक केवल तथ्यात्मक पहलुओं का संक्षिप्त संदर्भ ही पर्याप्त होगा।

3.1 . वादी-अपीलार्थी ने वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, दक्षिण पश्चिम जिले के न्यायालय में 2016 की सं. 427419 वाला विषय मुकदमा दायर किया था।

द्वारका, नई दिल्ली में अनिवार्य और निषेधात्मक निषेधाज्ञा और

नुकसान की वसूली। मुकदमे की प्रकृति को शिकायत के शीर्षक में निर्दिष्ट किया गया है जो नीचे दिया गया हैः -

" प्रतिवादी संख्या 1 को एक कमरे और खुली जगह से अपने सभी सामान के साथ खुद को हटाने का निर्देश देने वाले अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा (मानचित्र योजना में 'ए' और 'बी' के रूप में दिखाया गया है) और प्रतिवादी संख्या 2 को दो कमरों से अपने सभी सामान के साथ खुद को हटाने के लिए (के रूप में दिखाया गया है)

' मानचित्र योजना में सी 'और' डी ') प्लॉट नं. आरजेड-28, इंदिरा पार्क एक्सटेंशन, हनुमान मंदिर के पास, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 का माप 252 वर्ग किलोमीटर है। यार्ड, और स्थायी निषेध के लिए उन दोनों को किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने या उस पर कोई निर्माण करने और ब्याज और लागत के साथ नुकसान के भुगतान के लिए निषेधाज्ञा। "[2022] 7 एस. सी. आर.

3.2 . वादी ने कहा कि वह प्लॉट नं. आर. जेड. 28, इंदिरा पार्क एक्सटेंशन, हनुमान मंदिर के पास, उत्तम नगर, नई दिल्ली का क्षेत्रफल 252 वर्ग किलोमीटर है। यार्ड, वर्ष 1981 में उसी को खरीदने के लिए। वादी ने आगे कहा कि उसने वर्ष 1983-84 में उक्त भूखंड पर तीन कमरों का टिन शेड बनाया था। कि चूंकि भूखंड का उपयोग नहीं किया गया था, इसलिए वादी के बड़े भाई प्रतिवादी संख्या 1 (प्रतिवादी संख्या 2) ने भूखंड का उपयोग भंडारण उद्देश्यों के लिए करने का अनुरोध किया।

निर्माण ठेकेदार के रूप में अपने काम के साथ संबंध। तदनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 को विचाराधीन भूखंड पर अपनी इच्छानुसार एक निः शुल्क लाइसेंसधारी के रूप में भर्ती किया गया था। वादी ने आगे कहा कि वर्ष 1989-90 में, प्रतिवादी संख्या 1 ने फिर से अनुमति देने के अनुरोध के साथ उनसे संपर्क किया

प्रतिवादी संख्या 2 (प्रतिवादी संख्या 1), जिसे प्रतिवादी संख्या 1 के साथ मुंशी के रूप में काम करने वाला कहा गया था, टिन शेड के दो कमरों में तब तक रहने के लिए, जब तक कि वादी स्वयं इसकी आवश्यकता न करे। वादी ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी संख्या 2 को, तदनुसार, इस समझ के साथ भूखंड पर दो कमरों में रहने की अनुमति दी गई थी कि वह ऐसा करने के लिए कहे जाने पर उसी कमरे को खाली कर देगा। और उन्हें अपनी इच्छानुसार एक निः शुल्क लाइसेंसधारी के रूप में भी भर्ती किया गया था। 3.3 . वादी ने आरोप लगाया कि बाद में, जब उसने निर्माण करने की योजना बनाई और प्रतिवादियों से खुद को और अपने घर को हटाने के लिए कहा

भूखंड से सामान, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वादी ने आगे आरोप लगाया कि प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वयं विचाराधीन भूखंड के सामने अपना दो मंजिला घर बनाया और अधिग्रहित किया था और फिर भी विचाराधीन भूखंड से अपने सामान के साथ खुद को नहीं हटाया। यह भी कहा गया कि प्रतिवादी नंबर 1 ने वर्ष 2005 से ठेकेदार के रूप में काम करना बंद कर दिया था और उसे अब भूखंड की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बार-बार आश्वासन देने के बावजूद उसने खुद को अपनी निर्माण सामग्री के साथ नहीं हटाया।

3.4 . उपर्युक्त पृष्ठभूमि के संदर्भ में, वादी

उन्होंने कहा कि उन्हें प्रतिवादियों के लाइसेंस समाप्त करने और उन्हें खुद को हटाने के लिए कहने का कानूनी नोटिस दिया गया था और नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद अनधिकृत उपयोग और विचाराधीन भूखंड के कब्जे के लिए हर्जाने का दावा करने का अधिकार भी बताया गया था। वादी ने अपनी शिकायत में कहा कि नोटिस की सेवा के बाद, जब उसने 25.09.2016 पर विचाराधीन भूखंड का दौरा किया, तो प्रतिवादी को विचाराधीन भूखंड पर निर्माण करने और तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने की योजना बनाते हुए पाया गया ताकि वादी के कानूनी अधिकारों को विफल किया जा सके। प्रतिवादियों द्वारा गड़बड़ी का संदेह करते हुए, वादी ने प्रतिवादियों के खिलाफ अनिवार्य और निषेधात्मक निषेधाज्ञा के साथ-साथ नुकसान की वसूली के लिए भी मुकदमा दायर किया। कार्रवाई के कारण से संबंधित प्रासंगिक वाद, टी. भूषण गुप्ता बनाम।

प्रताप नारायण वर्मा और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

अभियोग के परिच्छेद 10 से 12 के अनुसार, विचारण न्यायालय और वाद मूल्यांकन और न्यायालय शुल्क का विवरण निम्नानुसार हैः -

कि प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाई का कारण उसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की नोटिस अवधि की समाप्ति के साथ 27.08.2016 पर और 25.09.2016 पर भी जैसा कि ऊपर बताया गया है। कि इस माननीय न्यायालय के पास क्षेत्रीय के साथ-साथ आर्थिक अधिकार भी हैं

वर्तमान वाद का परीक्षण करने का अधिकार क्षेत्र।

कि न्यायालय शुल्क और अधिकार क्षेत्र के उद्देश्य के लिए मूल्य रुपये के रूप में निर्धारित किया गया है। 250 निषेधाज्ञा के लिए प्रत्येक राहत के लिए और रु। 1 हर्जाने के लिए लाख, और अदालत की फीस रु। 3443.80 है। संलग्न "।

वादी ने निम्नलिखित शब्दों में राहत का दावा कियाः

बहुत विनम्रता से आपके सम्मान से पहले एक आदेश पारित करने के लिए प्रार्थना की

में स्थित स्थान (मानचित्र योजना में 'ए' और 'बी' के रूप में दिखाया गया है) प्लॉट नं. आरजेड-28, इंदिरा पार्क एक्सटेंशन, हनुमान मंदिर के पास, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 का माप 252 वर्ग किलोमीटर है। गज;

प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश देने वाला अनिवार्य निषेधाज्ञा

प्लॉट नं. में स्थित दो कमरों (मानचित्र योजना में 'सी' और 'डी' के रूप में दिखाए गए) से अपने सभी सामान के साथ खुद को हटा लें। आरजेड-28, इंदिरा पार्क एक्सटेंशन, हनुमान मंदिर के पास, उत्तम

नगर, नई दिल्ली-110059 का माप 252 वर्ग किलोमीटर है। गज;

रुपये के नुकसान की वसूली। 1 इस अवधि के लिए लाख 28.08.2016 से 27.09.2016 तक; और

अतिरिक्त नुकसान की वसूली @रु। 1 लाख प्रति माह से

28.09.2016 परिसर की वास्तविक छुट्टी तक प्रतिवादी;

ब्याज और मुकदमे की लागत के साथ। "[2022] 7 एस. सी. आर.

3.6 . प्रतिवादी संख्या 2 (प्रतिवादी संख्या 1) ने अन्य बातों के साथ-साथ इन आरोपों के साथ मुकदमे का विरोध किया कि वादी था

मुकदमा संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होना और यह कि मुकदमा झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों पर आधारित था; और आगे यह कि वादी द्वारा मुकदमा केवल अपने भाई, प्रतिवादी संख्या 1 की मिलीभगत से मुकदमे की संपत्ति हड़पने के लिए दायर किया गया था। प्रतिवादी संख्या 2 ने यह भी आरोप लगाया कि वह विवादित भूखंड के शत्रुतापूर्ण और निर्विवाद कब्जे में था। 3.7 . प्रतिवादी संख्या 2 ने आगे आरोप लगाया कि मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कोई कारण नहीं था; और, जहां तक मूल्यांकन का संबंध है, प्रतिवादी संख्या 2 ने निम्नलिखित प्रभाव वाले अभिकथनों को लियाः -

" 5. कि वाद संपत्ति का वाद मूल्य जिसके लिए वादी ने कब्जे का दावा किया है, रुपये से अधिक है। 2. 50 करोड़, इसलिए यह

माननीय न्यायालय के पास प्रयास करने, मनोरंजन करने और धन प्राप्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

वर्तमान वाद पर निर्णय लें। "

3.8 . इस मामले में निम्नलिखित मुद्दों को 28.11.2017 पर तैयार किया गया था जब पक्ष मुकदमे में गए थे 3: -

" I क्या मुकदमा वर्तमान रूप में बनाए रखने योग्य है? ओपीडी II क्या वादी प्रतिवादी सं. के खिलाफ अनिवार्य निषेधाज्ञा की डिक्री का हकदार है। 1 , जैसा कि प्रार्थना खंड (i) में प्रार्थना की गई है? ओपीपी

III क्या वादी प्रतिवादी सं. के खिलाफ अनिवार्य निषेधाज्ञा की डिक्री का हकदार है। 2 , जैसा कि प्रार्थना खंड में प्रार्थना की गई है

((ख)? ओपीपी

IV क्या वादी प्रतिवादी सं. के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री का हकदार है। 1 , जैसा कि प्रार्थना खंड में प्रार्थना की गई है

((iii)? ओपीपी

V क्या वादी वसूली की डिक्री का हकदार है

मुकदमे की लागत के साथ नुकसान, जैसा कि प्रार्थना खंड में अनुरोध किया गया है

((iv) और (v)? ओपीपी

VI राहत "।

3.8. 1 . हम, पारित करते समय, यह भी इंगित कर सकते हैं कि मुकदमे के अंतिम चरण में, प्रतिवादी संख्या 2 ने भी आदेश के तहत एक आवेदन दायर किया था।

XIV नियम 5 सी. पी. सी., अतिरिक्त मुद्दों को तैयार करने के लिए आदेश की मांग करता है। यह

3 मुद्दों को दिनांकित 31.08.2021 के निर्णय की प्रति से निकाला गया है, जैसा कि अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति के लिए एक आवेदन के साथ रिकॉर्ड में रखा गया है।

भारत भूषण गुप्ता बनाम। प्रताप नारायण वर्मा और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

आवेदन को निचली अदालत द्वारा एक अलग आदेश दिनांक 31.08.2021 द्वारा खारिज कर दिया गया था। 3.9 . वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाली कार्यवाही की ओर लौटते हुए, यह देखा गया है कि 20.03.2018 पर, वादी की प्रतिपरीक्षा के दौरान, मुकदमा दायर करने के समय मुकदमे की संपत्ति के बाजार मूल्य के संबंध में उससे एक सवाल पूछा गया था, जिसे उसने लगभग रु। 1.8 करोड़। उक्त प्रश्न और उसका उत्तर इस प्रकार हैः -

" प्र. मुकदमा दायर करने के समय मुकदमा संपत्ति का बाजार मूल्य क्या था? ए. सूट संपत्ति का अनुमानित मूल्य लगभग रु।

1.8 करोड़, मुकदमा दायर करने के समय "।

3.10 . उपरोक्त उत्तर के बाद, प्रतिवादी संख्या 2 ने आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत इन प्रस्तुतियों के साथ एक आवेदन दायर किया कि

प्रति संपत्ति के स्वीकृत मूल्य पर रु। 1.8 यह मुकदमा विचारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं था और इसलिए, शिकायत को खारिज करने की आवश्यकता थी। इस आवेदन को वादी द्वारा विधिवत चुनौती दी गई थी और यह देखते हुए कि वाद का मूल्यांकन वाद में दावा की गई राहतों के अनुसार किया गया था, निचली अदालत द्वारा लागत के साथ खारिज कर दिया गया था। विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और निष्कर्ष निकालाः -

" 4. आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से, केवल वाद पर विचार किया जाना चाहिए और प्रतिवादी के अभिवचन या पक्षों के नेतृत्व में साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, वादी द्वारा दायर शिकायत पर विचार करने पर, इस अदालत का विचार है कि वही कार्रवाई के कारण का खुलासा करता है। इसके अलावा, वाद में दावा की गई राहतों के अनुसार वाद का उचित मूल्यांकन किया गया है। अतः प्रतिवादी का आवेदन सं। 2 आदेश 7 नियम 11 के तहत सी. पी. सी. बनाए रखने योग्य नहीं पाया जाता है और इसे जमा करने के लिए Rs.2000/- की लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

डीएलएसए के साथ "।

4. उपरोक्त आदेश को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। संबंधित द्वारा लंबे समय तक प्रस्तुतियाँ की गईं

पक्षकार जिनका उच्च न्यायालय द्वारा अपने विवादित विस्तृत आदेश दिनांक 18.03.2019 में उद्धृत से व्यापक निष्कर्षण के साथ निपटारा किया गया था।

निर्णय लेते हैं।

4.1 . उच्च न्यायालय ने मुल्क राज खुल्लर बनाम के मामले सहित अपने पिछले फैसलों पर ध्यान दिया। अनिल कपूर और अन्य। सीएस (ओएस) में

2011 की सं. 1855 ने 03.10.2013 [(2013) 139 डी. आर. जे. 303 के रूप में सूचित] के साथ-साथ संत लाल जैन बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी निर्णय लिया। अवतार सिंहः ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 857 उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि संत लाल जैन (उपरोक्त) मामले में निर्णय के संदर्भ में, कथित लाइसेंसों को समाप्त करने में बहुत देरी के बाद अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि हालांकि

चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी ने लाइसेंस के तथ्य से इनकार किया था, लेकिन ऐसे सभी पहलुओं को केवल मुकदमे में ही निर्धारित किया जा सकता था।

4.2 . उच्च न्यायालय ने आगे यह अवलोकन किया कि वर्तमान मामले के तथ्य मामले के तथ्यों के समान थे -

मुल्क राज खुल्लर (ऊपर) और इसके परिणामस्वरूप, अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा उचित रूप से स्थापित किया गया था, जहां वादी को अदालत की फीस और अधिकार क्षेत्र के उद्देश्य से मुकदमे को महत्व देने का विवेकाधिकार था। इस हद तक, उच्च न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादी की दलीलों को स्वीकार करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की, लेकिन उसके बाद, मुल्क राज खुल्लर (ऊपर) में टिप्पणियों पर ध्यान दिया कि इसमें इस आशय का कोई तर्क नहीं था कि अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे को महत्व दिया गया था। उद्धृत निर्णय से इस तरह के एक अंश को पुनः प्रस्तुत करने के बाद, उच्च न्यायालय ने वादी द्वारा दिए गए बयान का उल्लेख किया कि मुकदमे की संपत्ति का बाजार मूल्य लगभग रु। 1.8 मुकदमा दायर करने के समय और इस कारण से, उच्च न्यायालय अचानक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि न्यायालय शुल्क और अधिकार क्षेत्र के उद्देश्य से मुकदमे का मूल्यांकन रु। 250 प्रत्येक राहत के लिए

निषेधाज्ञा पूरी तरह से मनमाना थी। 4.3 . उपरोक्त चर्चा और तर्क के साथ, उच्च न्यायालय ने वाद को वापस करने का आदेश दिया ताकि एक उपयुक्त मामले में दायर किया जा सके।

मूल्यांकन के अनुसार न्यायालय। उच्च न्यायालय के तर्क और निष्कर्ष के संबंध में विवादित आदेश के प्रासंगिक अंशों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार निकाला जा सकता हैः -

" 17. हालाँकि, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि प्रत्यर्थी की ओर से जो निर्भरता रखी गई है वह नहीं है। 1 "मुल्क राज खुल्लर बनाम अनिल कपूर और अन्य" मामले में इस अदालत के फैसले पर। (उपर्युक्त) यद्यपि तथ्यों में तत्काल मामले के तथ्यों के साथ वस्तुतः समान सामग्री है, जिसके परिणामस्वरूप, वर्तमान में, मुकदमे को अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए दायर किया जाना चाहिए और

उचित रूप से इस प्रकार स्थापित किया गया और इस प्रकार, प्रत्यर्थी को विवेकाधिकार प्रदान करते हुए नं। 1 न्यायालय शुल्क और अधिकारिता के उद्देश्य से मुकदमे को महत्व देने के लिए, फिर भी उक्त भारत भूषण गुप्ता बनाम में इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती है।

प्रताप नारायण वर्मा और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

फैसला मुल्क राज खुल्लर बनाम अनिल कपूर और अन्य पर निर्भर था। " (ऊपर) स्वयं इसके पैरा 30 के अनुसार, यह देखा गया है कि प्रभावः -

" 30. यह कहते हुए कोई तर्क नहीं है कि वादी ने किसी भी सनकी तरीके से अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे को महत्व नहीं दिया है। मेरा मानना है कि वादी ने उचित रूप से

न्यायालय शुल्क के प्रयोजनों के लिए वाद का मूल्यांकन किया और

अधिकार क्षेत्र "।

18. तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, गवाही

लगभग रु। मुकदमा दायर करने के समय 1.80 करोड़। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रत्येक निषेधाज्ञा राहत के लिए Rs.250 पर न्यायालय शुल्क और अधिकार क्षेत्र के उद्देश्य के लिए मुकदमे का मूल्यांकन पूरी तरह से मनमाना है।
19. इस प्रकार संपत्ति के मूल्यांकन को देखते हुए, रु। 1.8 स्वयं वादी की गवाही के अनुसार, वाद को विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा उपयुक्त अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के समक्ष दायर किए जाने वाले उक्त वाद के वादी को वापस करने का निर्देश दिया जाता है।

20. विद्वत विचारण न्यायालय, जो उस मामले को जब्त कर लेगा, जहां विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा वाद की वापसी की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर उचित मूल्यांकन के बाद वाद स्थापित किया जाता है, उस चरण से कार्यवाही के साथ आगे बढ़ेगा जहां विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही अंतिम बार निर्धारित की गई थी, जिसमें दर्ज किए गए सभी साक्ष्य भी शामिल होंगे।

मामले में।

21. याचिका का उसी के अनुसार निपटारा किया जाता है।

5. उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित आदेश को चुनौती देने की मांग करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने मामले के गुण-दोष के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी हैं।

प्रतिवाद करने वाला प्रतिवादी-प्रतिवादी। गुण-दोष से संबंधित इन प्रस्तुतियों पर यहाँ किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपील लंबित है और गुण-दोष के सभी प्रासंगिक पहलुओं को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जांच के लिए खुला छोड़ दिया जाना चाहिए।

5.1 . अपीलार्थी के विद्वान वकील ने भी [2022] 7 एस. सी. आर. की राहत की मांग करने वाले मुकदमे की स्थिरता के बारे में व्यापक प्रस्तुतियाँ की हैं।

निषेधाज्ञा, विशेष रूप से लाइसेंस के मामले में। विद्वान वकील करेंगे

यह तर्क दिया जाता है कि अधिकार के लिए मालिकाना हक के मुकदमे और लाइसेंस के निर्धारण के बाद परिसर से खुद को और अपने सामान को हटाने के लिए लाइसेंसधारक के खिलाफ अनिवार्य निषेधाज्ञा के मुकदमे के बीच अंतर है। विद्वान वकील ने विशेष रूप से मारिया मार्गरिडा सिक्वेरा फर्नांडीस एंड ओआरएस में निर्णयों का उल्लेख किया है। वी. इरास्मो जैक डी सिक्वेरा (मृत) एल. आर. के माध्यम से। : 2012 (5) एससीसी 370 और संत लाल जैन (ऊपर)। इस संबंध में भी, यह देखा गया है कि विवादित आदेश में, उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ मुकदमे की स्थिरता के सवाल का फैसला नहीं किया है। वादी-अपीलार्थी।

5.2 . जहां तक मूल्यांकन का संबंध है, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने

न्यायालय-शुल्क अधिनियम, 18704 की धारा 7 (iv) (d) को संदर्भित किया गया है और प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादियों को हटाने का निर्देश देने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा की राहत अनुज्ञप्ति की समाप्ति के बाद संपत्ति और परिसर को खाली करना बनाए रखने योग्य है और वर्तमान वाद का, तदनुसार, न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 7 (iv) (d) के संदर्भ में निषेधाज्ञा की राहत के उद्देश्य से मूल्यांकन किया गया है और इसकी धारा 7 (v) के तहत मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्थिति होने के कारण, विद्वान वकील के अनुसार, वर्तमान मुकदमे को कम मूल्यवान नहीं माना जा सकता है; और विचाराधीन संपत्ति के बाजार मूल्य के अनुसार निषेधाज्ञा के लिए ऐसे मुकदमे के मूल्यांकन के लिए कानून की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। संत लाल जैन (उपरोक्त) मामले में इस अदालत के फैसले के अलावा, विद्वान वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों का उल्लेख किया है, जिनमें मुल्क राज खुल्लर (उपर्युक्त) और मलिक मोहम्मद तनवीर बनाम के मामले शामिल हैं। उज़्मा मलिक और अन्र। : 205 में से CM (M) 663 ने 18.07.2016 पर निर्णय लिया।

6. इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान वकील-प्रतिवादी संख्या 1 ने भी इस दावे के संदर्भ में मामले के गुण-दोष के संबंध में कई प्रस्तुतियाँ करने का प्रयास किया है कि प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादी पिछले 30 वर्षों से वाद संपत्ति के निर्विवाद कब्जे में है। जैसा कि देखा गया है, मामले के गुण-दोष से संबंधित इन पहलुओं को डिक्री के खिलाफ लंबित अपील से निपटने वाले न्यायालय द्वारा उनके उचित विचार के लिए बिना किसी टिप्पणी के छोड़ दिया जा रहा है।

6.1 . मुक़दमे के मूल्यांकन के संबंध में, विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि विवादित आदेश के अनुच्छेद 136 के तहत कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

भारत का संविधान इस कारण से कि सूट संपत्ति का बाजार मूल्य रुपये से अधिक था। 1.8 करोड़ और धन 4 इसके बाद इसे 'न्यायालय शुल्क अधिनियम' भी कहा जाता है।

भारत भूषण गुप्ता बनाम। प्रताप नारायण वर्मा और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, द्वारका, नई दिल्ली का अधिकार क्षेत्र केवल रु। 3 लाख और इसलिए, उक्त न्यायालय द्वारा मुकदमे की सुनवाई नहीं की जा सकती थी।

6.2 . विद्वान वकील के अनुसार, मुकदमे को ठीक से महत्व नहीं दिया गया है, इसलिए शिकायत को वापस करने का आदेश दिया गया है।

उचित मूल्यांकन के बाद उपयुक्त न्यायालय में प्रस्तुति। विद्वान वकील ने वाणिज्यिक विमानन और यात्रा कंपनी और अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है। वी. विमला पन्नालालः 1988 (3) एस. सी. सी. 423 यह प्रस्तुत करे कि न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 7 (iv) (डी) के संदर्भ में भी कोई मनमाना मूल्यांकन नहीं हो सकता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वादी का अर्थ निकालने के लिए, उसके सार की जांच की जानी चाहिए, जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने महंत पुरुषोत्तम दास और अन्य के मामले में कहा था। वी. हर नारायण और अन्न। : ए. आई. आर. 1978 दिल्ली 114

6.3 . प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि वर्तमान मामले में, वादी वास्तव में, मुकदमे के कब्जे की मांग कर रहा है।

अनिवार्य निषेधाज्ञा की आड़ में संपत्ति; कि प्रतिवादी नं। 1 12 वर्ष से अधिक समय से वाद संपत्ति के निर्विवाद कब्जे में था; और यह कि अपीलार्थी का स्वामित्व और लाइसेंसकर्ता और लाइसेंसधारी के संबंध को प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादी द्वारा कभी भी स्वीकार नहीं किया गया है। इस प्रकार, विद्वान वकील के अनुसार, अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए वर्तमान मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं है और अनिवार्य निषेधाज्ञा की आड़ में, अपीलार्थी कब्जे की वसूली की मांग कर रहा है, जबकि ऐसी राहत से परे है

विचारण न्यायालय की अधिकारिता। यह भी आग्रह किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आपत्ति के बावजूद, निचली अदालत ने इस मुद्दे को अधिकार क्षेत्र के बिंदु पर नहीं बनाया और यहां तक कि अतिरिक्त मुद्दे को तैयार करने का अनुरोध भी नहीं किया।

गलती से अस्वीकार कर दिया गया।

7. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद

और लागू कानून के संदर्भ में रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच करने के बाद, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा वादी द्वारा मुकदमे की संपत्ति के मूल्य पर अपनी प्रतिपरीक्षा में दिए गए बयान के संदर्भ में पारित किया गया विवादित आदेश कानून के अनुरूप नहीं है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

8. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करते समय, न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 7 (iv) (d) में निहित प्रावधानों पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा, जो निम्नानुसार होंगेः -

" 7. कुछ मुकदमों में देय शुल्क की गणना। - इसके बाद के मुकदमों में इस अधिनियम के तहत देय शुल्क की राशि

उल्लिखित की गणना निम्नानुसार की जाएगीः

((iv) सूट में

.....

एक आदेश के लिए। — (घ) निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए,

उस राशि के अनुसार जिस पर मांगी गई राहत का मूल्य है

शिकायत या अपील का ज्ञापन;

ऐसे सभी मुकदमों में वादी वह राशि बताएगा जिस पर वह

मांगी गई राहत को महत्व देते हैं; "

9. वर्तमान वाद की प्रकृति, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, अभिलेख के सामने यह स्पष्ट करती है कि वादी-अपीलार्थी ने

प्रतिवादियों के खिलाफ विवादित भूखंड से खुद को और अपने सामान को हटाने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा की राहत, जबकि यह आरोप लगाते हुए कि प्रतिवादी केवल लाइसेंसधारियों के रूप में उस पर कब्जा कर रहे थे; और संबंधित लाइसेंसों की समाप्ति के बाद खुद को हटाने के लिए बाध्य थे। वादी ने शाश्वत राहत के लिए भी प्रार्थना की है निषेधात्मक निषेधाज्ञा कि प्रतिवादी मुकदमे की संपत्ति में कोई तीसरे पक्ष का अधिकार नहीं बना सकते हैं या उस पर कोई निर्माण नहीं कर सकते हैं। वादी ने अदालत की फीस और अधिकार क्षेत्र के उद्देश्य से मुकदमे का मूल्यांकन रु। 250 निषेधाज्ञा के लिए प्रत्येक राहत के लिए और रु। 1 हर्जाने के लिए एक लाख रुपये; और तदनुसार न्यायालय शुल्क का भुगतान किया है।

9.1 . यह सामान्य बात है कि वाद में दावा की गई राहत की प्रकृति ही वाद मूल्यांकन के प्रश्न के लिए निर्णायक है। एक आवश्यक परिणाम के रूप में, बाजार मूल्य सूट मूल्यांकन के लिए निर्णायक नहीं बन जाता है।

केवल इसलिए कि एक अचल संपत्ति मुकदमे का विषय है। मुकदमे में शामिल अचल संपत्ति का बाजार मूल्य दावा की गई राहत की प्रकृति के आधार पर प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन अंततः, किसी विशेष मुकदमे का मूल्यांकन मुख्य रूप से दावा की गई राहत/राहत के संदर्भ में किया जाना चाहिए। 9.2 . जहाँ तक वर्तमान मुकदमे का संबंध है, वादी ने प्रतिवादियों पर लाइसेंसधारी होने का आरोप लगाया है और अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की है

उन्हें खुद को और अपने सामान को हटाने के लिए बाध्य करना। यह पता लगाने के लिए बहुत अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के अभिवचनों के साथ, अनिवार्य निषेधाज्ञा से राहत का दावा कानूनी प्रक्रिया के लिए अज्ञात नहीं है। तैयार संदर्भ के लिए, हम मारिया मार्गरिडा सिक्वेरा फर्नांडीस (ऊपर) में निर्णय के प्रासंगिक अंश को निम्नानुसार संदर्भित कर सकते हैं:

- हरत भूषण गुप्ता बनाम। प्रताप नारायण वर्मा

& एएनआर। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

" 65. स्वामित्व धारक द्वारा अधिकार की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है।

या यह किसी पूर्व पट्टेदार को बाहर निकालने के लिए या किसी व्यक्ति को खुद को हटाने की आवश्यकता वाले अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए हो सकता है या यह कब्जे की वसूली के लिए विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 6 के तहत मुकदमा हो सकता है।

9.3 . इसके अलावा संत लाल जैन (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालयों के निर्णय को अनुमोदन के साथ संदर्भित किया और

निम्नानुसारः -

" ..... मिल्का सिंह बनाम। डायना ए. आई. आर. 1964 जे. एंड के. 99 में, यह देखा गया है कि यह सिद्धांत कि एक बार लाइसेंसधारी हमेशा एक लाइसेंसधारी सभी प्रकार के लाइसेंसों पर लागू होगा और यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस क्षण लाइसेंस समाप्त हो जाता है, लाइसेंसधारी का कब्जा एक अतिचारक का हो जाता है। उस मामले में, हममें से एक (मुर्तजा फजल अली, जे. जो उस समय थे) ने डिवीजन बेंच की ओर से कहा हैः

" अनुज्ञप्ति की समाप्ति के बाद, अनुज्ञप्तिधारी मालिक को अपना अधिकार सौंपने के लिए एक स्पष्ट दायित्व के अधीन है और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि अनुज्ञप्तिधारी को विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 55 के तहत अनिवार्य निषेधाज्ञा के माध्यम से इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए मजबूर क्यों नहीं किया जा सकता है। हम आगे यह उल्लेख कर सकते हैं कि अंग्रेजी कानून के तहत भी हमेशा एक लाइसेंसधारी को बेदखल करने के लिए निषेधाज्ञा का मुकदमा किया गया है

बनाए रखने योग्य हो। ..... जहां कोई लाइसेंसधारक लाइसेंस समाप्त होने के बाद उचित समय के भीतर निषेधाज्ञा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है, वह निषेधाज्ञा का हकदार है। दूसरी ओर, यदि लाइसेंसकर्ता भारी देरी का कारण बनता है, तो अदालत इस आधार पर निषेधाज्ञा देने के विवेकाधिकार से इनकार कर सकती है कि लाइसेंसकर्ता मेहनती नहीं था और उस मामले में, लाइसेंसधारक को कब्जे के लिए एक मुकदमा लाना होगा जो न्यायालय-शुल्क अधिनियम की धारा 7 (v) द्वारा शासित होगा।

7. वर्तमान मामले में हमें यह नहीं दिखाया गया है कि अपीलार्थी किसी भी पर्याप्त देरी के बाद अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे के साथ अदालत में आया था जो उसे विवेकाधीन राहत के लिए अयोग्य ठहराएगा। भले ही कुछ देरी हुई हो, हम सोचते हैं कि इस तरह के मामले में मुकदमों की बहुलता से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए और लाइसेंसधारक को सभी परिचर देरी, परेशानी और खर्च के साथ एक और दौर का मुकदमा दायर करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाना चाहिए। मुकदमा प्रभावी है

ई. मिल्खा सिंह बनाम का मामला। डायनाः AIR 1964 J & K 99 [2022] 7 S. C. R.

एक अधिकार के लिए हालांकि एक सूट के रूप में जोड़ा गया

वादी के सफल होने की स्थिति में उसे जो अनिवार्य निषेधाज्ञा दी जाएगी, वह उस संपत्ति का कब्जा है जिसका वह हकदार पाया जा सकता है। इसलिए, हमारी राय है कि अपीलार्थी को केवल इसलिए राहत देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसने

अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमे के रूप में शिकायत दर्ज की।

9.4 . वास्तव में, मुल्क राज खुल्लर (ऊपर) के मामले में, जैसा कि उच्च न्यायालय ने अपने विवादित आदेश में संदर्भित किया है, संत में उपरोक्त निर्णय जोसेफ सेवरेंस एंड ओआरएस के मामले में एक और निर्णय के रूप में लाल जैन। वी. बेनी मैथ्यू और ओआरएस। : (2005) 7 एस. सी. सी. 667 पर ध्यान दिया गया और उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः -

" 16. निम्नलिखित कानूनी स्थिति यह है कि जहां एक लाइसेंसधारी जिसके लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया है, उसके खिलाफ शीघ्रता से मुकदमा दायर किया जाता है,

अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा बनाए रखने योग्य है।

9.5 . अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे की रखरखाव के संबंध में उपरोक्त चर्चा के लिए बहुत अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

कानून की स्थिति और इस प्रासंगिक तथ्य के लिए भी कि आक्षेपित आदेश में भी, उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत कुछ नहीं कहा है, जहां तक

अनिवार्य निषेधाज्ञा से राहत की मांग करने वाले मुकदमे की स्थिरता का सवाल संबंधित है। उच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के अपने व्यापक संदर्भ के बाद यह टिप्पणी करते हुए मामले के इस पहलू को संदेह के दायरे से परे रखा कि वर्तमान मामले और मुल्क राज खुल्लर (उपरोक्त) के मामले के तथ्य अलग-अलग थे। इस हद तक, उच्च न्यायालय का विचार लागू कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप था। हालांकि, अगले कदम पर तुरंत, उच्च न्यायालय ने मुल्क राज खुल्लर के मामले में एक अंश को अलग और सार से अलग करके संदर्भित करके गंभीर त्रुटि की, जिसमें न्यायालय ने सनकी मूल्यांकन के बारे में किसी भी तर्क के अभाव का संकेत दिया था। मुल्कराज खुल्लर के मामले के फैसले में पैराग्राफ 30 में वह अवलोकन पद्मावती महाजन बनाम के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले में टिप्पणियों के संदर्भ में आया था। योगेंद्र महाजन और अन्र। : (2008) 152 डी. एल. टी. 363, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमे का मूल्यांकन वादी द्वारा अपने विवेकाधिकार में इस शर्त के अधीन किया जा सकता है कि ऐसा विवेकाधिकार सनकी नहीं होना चाहिए। बिना विनिर्देशों के सामान्यीकृत अभिव्यक्ति "सनकी" के उपयोग को उच्च न्यायालय ने विवादित मामले में उठाया है।

आदेश और फिर, विचाराधीन भूखंड का बाजार मूल्य, जैसा कि वादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है, न्यायालय द्वारा भारत भूषण गुप्ता बनाम के रूप में लिया गया है।

प्रताप नारायण वर्मा और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

मूल्यांकन में मनमानेपन का संकेत। सम्मान के साथ, उच्च न्यायालय ने पुनः प्रस्तुत किए गए मार्ग में कानून के प्रासंगिक कथन को भी छोड़ दिया मुल्क राज खुल्लर में, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस तरह के मुकदमे का 'संपत्ति के बाजार मूल्य पर मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं थी'।

10. उच्च न्यायालय ने समग्र रूप से भी विचार नहीं किया है

लेकिन, साथ ही, हर्जाने के दावे के संदर्भ में मुकदमे का मूल्यांकन भी किया है। 1 लाख और तदनुसार अदालत की फीस का भुगतान किया था। अभिलेख पर यह स्पष्ट है कि कानून के निर्विवाद सिद्धांत के बावजूद अनिवार्य और निषेधात्मक निषेधाज्ञा के लिए ऐसा मुकदमा नहीं है। संपत्ति के बाजार मूल्य पर मूल्यवान होने के लिए आवश्यक, उच्च न्यायालय ने वर्तमान मुकदमे के मूल्यांकन को "मनमाना" ठहराने के लिए केवल संपत्ति के बाजार मूल्य पर भरोसा किया है। उच्च न्यायालय का ऐसा निष्कर्ष न तो कानून के अनुरूप है और न ही वर्तमान वाद के ढांचे और प्रकृति के अनुरूप है।

11. वाणिज्यिक विमानन (उपरोक्त) के मामले में निर्णय किसी भी तरह से प्रतिवादी संख्या 1 के कारण को आगे नहीं बढ़ाता है।

जो भी हो। उक्त निर्णय खातों को प्रस्तुत करने के लिए एक मुकदमे से संबंधित है, जो न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 7 के खंड (iv) द्वारा परिकल्पित मुकदमों की प्रजातियों में से एक है। उस संदर्भ में भी, इस न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, कहा कि अपने हिस्से की देय राशि के बारे में इस तरह की शिकायत में वादी का आकलन किसी भी ठोस सामग्री के अभाव में एक अनुमान था और मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ मानक का गठन नहीं करेगा। इस न्यायालय ने न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 7 (iv) के तहत आने वाले मुकदमों के मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को निम्नलिखित शब्दों में समझायाः

" 7. जहाँ तक न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 7 (iv) के तहत आने वाले मुकदमों का संबंध है, विधायिका ने शिकायत या अपील के ज्ञापन में मांगी गई राहत के मूल्यांकन का सवाल वादी पर छोड़ दिया है। इसका कारण स्पष्ट है। धारा 7 (iv) के तहत जिन मुकदमों का उल्लेख किया गया है, वे ऐसी प्रकृति के हैं कि मूल्यांकन के किसी भी मानक को निर्धारित करना मुश्किल है। वास्तव में, विधायिका ने न्यायालय शुल्क अधिनियम में मूल्यांकन का कोई मानक निर्धारित नहीं किया है। वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 9 के तहत, उच्च न्यायालय, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 7 (iv) में निर्दिष्ट वाद के मूल्यांकन के लिए नियम बना सकता है। हालाँकि पंजाब उच्च न्यायालय ने वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 9 के तहत नियम बनाए हैं जो [2022] 7 एस. सी. आर. पर लागू होते हैं।

न्यायालय शुल्क के उद्देश्य न्यायालय शुल्क अधिनियम द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। जिसका अर्थ है कि राहत का मूल्यांकन वादी को न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 7 (iv) (f) के तहत करना होगा।

11.1 . उक्त निर्णय के पैराग्राफ 13 में होने वाली टिप्पणियां, जिन पर चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी द्वारा भरोसा करने की मांग की गई है, उन्हें नीचे पढ़ा गया है: -

" 13. लेकिन, धारा 7 (iv) के तहत ऐसे मामले हो सकते हैं जहां राहत के मूल्यांकन के निर्धारण के उद्देश्य से कुछ सकारात्मक उद्देश्य मानक उपलब्ध हो सकते हैं। यदि राहत के मूल्यांकन के लिए सामग्री या वस्तुनिष्ठ मानक हैं, और फिर भी वादी उसी की अनदेखी करता है और मनमाना मूल्यांकन करता है, तो अदालत, हमारी राय में, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII, नियम 11 (बी) के तहत हस्तक्षेप करने का हकदार है, क्योंकि अदालत एक स्थिति में होगी। वस्तुनिष्ठ मानकों या उसके लिए उपलब्ध सामग्रियों के संदर्भ में सही मूल्यांकन निर्धारित करना। उर्मिलाबाला विश्वास में, v. बिनापानी विश्वास [ए. आई. आर. 1938 कैल 161: 42 सीडब्ल्यूएन 192: 177 1 सी 893] प्रतिवादी को उक्त धन निकालने से रोकने वाले निषेधाज्ञा के अनुरोध के साथ एक निश्चित राशि के भविष्य निधि धन के स्वामित्व की घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धन की वसूली के अधिकार और स्वयं उस धन के अधिकार के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं था, और यह कि राहत का मूल्यांकन भविष्य निधि राशि पर किया जाना चाहिए था जिस पर वादी द्वारा दावा किया गया था। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि

यद्यपि उस मामले में मुकदमा न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 7 (iv) (c) के तहत एक था, एक वस्तुनिष्ठ मानक था जो वादी और न्यायालय को भी राहत का सही मूल्य निर्धारित करने में सक्षम बनाएगा और ऐसे मामले में, न्यायालय यह निर्देश देने में सक्षम होगा कि

वादी राहत को तदनुसार महत्व दे। "

11.2 . वास्तव में, इन टिप्पणियों को उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले में भी ध्यान में रखा गया था, लेकिन उनका मतलब नहीं समझा जा सकता है

कि किसी संपत्ति से संबंधित अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमे में और इस प्रकार प्रतिवादी के कार्यों/चूक पर कुछ अधिदेश की मांग करते हुए, मुकदमे का मूल्य संपत्ति के बाजार मूल्य के अनुसार निर्धारित किया जाना आवश्यक है। इस तरह का प्रस्ताव, शामिल संपत्ति के बाजार मूल्य पर सूट मूल्यांकन के लिए, दावा की गई राहत की प्रकृति की परवाह किए बिना, यदि स्वीकार किया जाता है, तो भारत भूषण गुप्ता v.

प्रताप नारायण वर्मा और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

न्यायालय शुल्क अधिनियम की वाद मूल्यांकन से संबंधित पूरी योजना को अव्यवस्थित होने वाली राहत की प्रकृति के संदर्भ में प्रस्तुत करना। इस तर्क को अस्वीकार किया जाना आवश्यक है।

12. महंत पुरुषोत्तम दास (उपरोक्त) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले का भी अनावश्यक रूप से उल्लेख किया गया है। उसमें मुकदमा घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए था जहां

न्यायालय ने पाया कि वादी घोषणा की मांग किए बिना निषेधाज्ञा की राहत के लिए नहीं कह सकता था और मुकदमा, अपनी प्रकृति पर, न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 7 के खंड (v) द्वारा शासित माना गया था। उक्त निर्णय की वर्तमान मामले में कोई प्रासंगिकता या अनुप्रयोग नहीं है।

13. निष्कर्ष निकालने से पहले, हम यह भी देख सकते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रस्तुतिकरण

उनके अनुरोध के बावजूद निचली अदालत द्वारा आवश्यक मुद्दों पर अधिक टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं है। यह सरल कारण है कि तैयार किए गए मुद्दों के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद का विरोध करते हुए, वादी की प्रतिपरीक्षा के दौरान आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन के माध्यम से मुकदमे के मूल्यांकन और निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र के बारे में आपत्ति उठाने का विकल्प चुना। उस आवेदन को निचली अदालत ने सही ढंग से खारिज कर दिया था। इसके विपरीत उच्च न्यायालय के फैसले को हम मंजूरी नहीं दे रहे हैं। यह स्थिति होने के कारण, मुद्दों को तैयार करने की कमी के बारे में विवाद में कोई दम नहीं है

अधिक।

14. जिस पर यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, हम बस कह सकते हैं

दूसरे शब्दों में परिणाम यह है कि उच्च न्यायालय ने कानून के लागू प्रावधान यानी न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 7 (iv) (डी) के साथ-साथ उसी निर्णय में बताए गए कानून के सिद्धांतों पर भी विचार करने में पूरी तरह से चूक की है।

विवादित क्रम में ही संदर्भित किया जाता है और उस पर भरोसा किया जाता है। इस प्रकार, विवादित आदेश को अलग रखा जाना चाहिए।

15. तदनुसार, और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अपील सफल होती है और इसकी अनुमति दी जाती है; 18.03.2019 दिनांकित आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और

निचली अदालत की तारीख 11.07.2018 को बहाल कर दिया गया है। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि हमने मामले के गुण-दोष से संबंधित कोई टिप्पणी नहीं की है, जो प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित अपील में जांच के लिए खुली रहेगी।

15.1 . इस अपील की लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन (सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)